टी एंड डी के अधीन वित्तपोषित स्कीमों की श्रेणी

क्र सं.	प्रवर्ग	प्रयोजन
	वितरण स्कीमें	
(i)	परियोजना तंत्र सुधार :पी : एस आई	निर्दिष्ट क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण व्यवस्था को सुद्ढ़ बनाना तथा उसमें सुधार करना
(ii)	एस आई : मीटर, ट्रंसफार्मर आदि	मीटरों, ट्रंसफार्मरों आदि की खरीद तथा संस्थापन के लिए
(iii)	पी: एस आई (एच वी डी एस)	एलवीडीएस की एचवीडीएस में बदलने के लिए
(iv)	पी: एस आई (एपीडीआरपी)	विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एपीडीआरपी स्कीमों के समान वित्तपोषण के लिए
(v)	परियोजना गहन विद्युतीकरण: पी: आई ई	पहले से ही विद्युतीकृत गांवों में ग्रामीण उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान करने के लिए गहन मांग और विकास हेतु
(vi)	परियोजना पंप सेट : एसपीए: पीई	पंपसेटों के ऊजार्यन के लिए
(2)	पारेषण स्कीमें	
	परियोजना तंत्र सुधार : पी: एस आई	नए विद्युत उत्पादन केंद्रों से विद्युत निकासी के लिए तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुद्ढ़ / सुधार करने के लिए

टी एंड डी द्वारा वित्तपोषित की जा रही स्कीमों का प्रवर्गवार ब्यौरा

वितरण प्रवर्ग (थोक ऋण, जिसमें अवधि - 7 वर्ष है, के, सिवाय 13 वर्ष की अवधि) **-उपकेंद्रों के दूसरी छोर पर 11 के वी तक वोल्टता वाली स्कीमें** ।

(i) तंत्र सुधार - तंत्र की कमियां दूर करने तथा बिजली सप्लाई की क्वालिटी तथा विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए आर ई सी वर्तमान क्षमताओं की प्रस्थिति संयोजित मांग, वोल्टता प्रोफाइल तथा हानियों के स्तर पर विचार करते हुए, भावी मांग वृद्धि के विस्तार के साथ-साथ विद्युत वितरण नेटवर्क की प्रणाली अध्ययन के आधार पर तंत्र सुधार स्कीमों का वित्तपोषण करती है । तंत्र की कमियों तथा कमजोरियों की पहचान की जाती है तथा उनके लिए समुचित समाधान निकाला जाता है। इसमें मोटे तौर पर नए उपकेंद्रों तथा फीडरों का सृजन, उपकेंद्रों तथा फीडरों की विद्यमान क्षमताओं का संवर्धन, कैपिसिटरों की संस्थापना, दक्ष तथा टेंपर प्रूफ मीटर, नए उपस्करों तथा प्रौद्योगिकियों को आरंभ करना, जो बिजली की बचत करने तथा बिजली सप्लाई की क्वालिटी में सुधार करने में सहायता करते हैं, सम्मिलित है। इससे सप्लाई की क्वालिटी बेहतर होती है तथा उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद सप्लाई मिलती है तथा बिजली यूटिलिटियों के राजस्व में वृद्धि होती है।

तंत्र सुधार कार्यक्रम में मीटरों, ट्रंसफार्मरों आदि की खरीद तथा संस्थापन के लिए बनी **थोक ऋण स्कीमें**, एलवीडीएस से एचवीडीएस में बदलने के लिए बनी **एचवीडीसी** स्कीमें भी सम्मिलित हैं जिससे कि एचटी: एल टी अनुपात में सुधार हो सके। तंत्र सुधार स्कीमें एक संभव सीमा तक एटी एंड सी हानियों में कमी लाती हैं।

कार्यक्रम 1987-88 में आरंभ किया गया। इसके लिए आरईसी ने अब तक परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मार्च 2009 तक 73595 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

(ii) <u>गहन विद्युतीकरण -</u> विद्यतीकृत गावों के गहन विद्युतीकरण के लिए स्कीम को परियोजना गहन विद्युतीकरण (पी:आईई) के रुप में परिभाषित किया गया है। इसके अधीन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य पहले से ही विद्युतीकृत गावों का गहन विद्युतीकरण करना है। इसका मूल उद्देश्य पहले ही विद्युतीकृत गावों में ग्रामीण उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान करने के लिए गहन भार विकास करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को सप्लाई देने के लिए वितरण ट्रंसफार्मरों, 11केवी लाइनों तथा 33 के वी लाइनों की अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं प्रदान का जाती हैं।

1998-99 के बाद प्रारंभ की गई आई ई के नाम पद्धति के अधीन स्कीमों का वित्तपोषण किया जाता है । इस प्रकार के कार्य का पहले वित्तपोषण आरईसी के स्वयं के स्रोतों से तथा बजटीय सहायता के अधीन गांवों/दलित बस्तियों तथा विद्युतीकरण के लिए स्कीमों के विभिन्न प्रवर्गों के अधीन किया जाता था। तब से मार्च, 2009 तक पी : आई ई प्रवर्ग की स्कीमों के अंतर्गत 4325 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

(iii) <u>पंपसेटों का ऊर्जायन</u> - आर ई सी ने यह कार्यक्रम कृषि को सुकर बनाने के लिए पंपसेटों के ऊर्जायन स्कीमों के वित्तपोषण के लिए आरंभ किया है। अत: स्कीमों को विशेष परियोजना कृषि (एसपीए) के रूप में परिभाषित किया गया है । कार्यक्रम के आरंभ होने से मार्च, 2009 तक इस कार्यक्रम के अधीन 7109 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

(iv) <u>ए पी डी आर पी कार्यक्रम</u>: 2001-02 में भारत सरकार द्वारा त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) आरंभ किया गया था । विद्युत मंत्रालय ने संबंधित सलाहकार-सह-परामर्शक (एसीसीएस) की सिफारिशों के आधार पर स्कीमों को स्वीकृत किया । इस कार्यक्रम के अधीन आर ई सी के समनुदेशित भूमिका विद्युत मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर राज्यों को समान वित्तपोषण करना है (जो पहले की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत किन्तु जिसे संशोधित कर के 75 प्रतिशत कर दिया गया है ।

कार्यक्रम के आरंभ से आरईसी ने 319 स्कीमों के लिए जवाबी वित्तपोषण किया जिसमें 4036 करोड़ की सहायता ऋण भी सम्मिलित है। इन स्कीमों के लिए संबंधित यूटिलिटियों ने मार्च 2007 तक 2666 करोड़ रुपए आहरित कर लिए थे।